

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक  
कलक्टर, सिणधरी


क्रमांक:- ग्रा. से.शि/2025/ 450

प्रकरण सं.:- 290/2025  
दिनांक:- 07-11-2025

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पापला खुर् व मू.अ. नि. पापला कमा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम निम्बली तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 80 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>निम्बली</u>	<u>80</u>	<u>8/3</u>	<u>रावताराम पुत्र</u> <u>हनुमानराम</u>	<u>रावताराम पुत्र</u> <u>हनुमानराम</u>



(सिमदरसिंह भाटी)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर सिणधरी


दिनांक:- 07-11-2025

क्रमांक:- सम./2025/ 451-452

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
2. प्रार्थी रावताराम तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।



  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर सिणधरी